प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली–प्रथम।** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2022**
   प्र.इ.रि.सं. 165/22 दिनांक 6/5/22

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 धारायें. 7 (संशोधित)
   (2) अधिनियम – धाराये 120बी, 201 भा.द.स.
   (3) अधिनियम .....–..... धारायें.....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये.....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 119 समय 6:10 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन– बुधवार। दिनांक–04.05.2022 समयः– 07:40 पी.एम.।
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –02.05.2022 समय.– 09:23 ए.एम.।

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख उतर पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 120 कि.मी.।
   (ब) पता :– पुलिस चौकी बलाड़ा।
   .....बीट सख्या.....–..... जरायमदेही सं...–.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....–.....जिला.....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री जगदीश।
   (ब) पिता/पति का नाम :– मोहनलाल।
   (स) जन्म तिथि 01.01.1972, 50 वर्ष।
   (द) राष्टीयता,:– भारतीय
   (द) पासपोर्ट सख्या.....–..... जारी होने की तिथि .....–.....
   जारी होने की जगह .....–.....
   (र) व्यवसाय :– मजदूरी।
   (ल) पता.:– ग्राम लासणी पुलिस थाना जैतारण जिला पाली।

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री आशाराम कालीरावणा पुत्र श्री डुंगरराम कालीरावणा जाति जाट गांव नन्दवाणी, कालीरावणो की ढाणी, तहसील खींवसर जिला नागौर हाल कानि. 1586 पुलिस चौकी बलाडा, पुलिस थाना आनन्दपुर कालू, जिला पाली।
   2. श्री विकास कुमार पुत्र श्री बन्नाराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष जाति जाट, निवासी गांव गगवाना पुलिस थाना रोल जिला नागौर हाल कानि. 190 पुलिस चौकी बलाडा, पुलिस थाना आनन्दपुर कालू, जिला पाली।
   3. बन्टी उर्फ सूर्यप्रकाश पुत्र श्री सत्यनारायण टांक जाति कलाल, निवासी ग्राम बलाडा पुलिस थाना आनन्दपुर कालू जिला पाली (प्राईवेट व्यक्ति)

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

सेवा में,

श्री मान अति पुलिस अधीक्षक
भ.नि. ब्योरो (पालि)

विषय : रिश्वत मागने वाले पुलिस कमियों के विरूद्ध बाबत

महोदयजी,

मुझे प्रार्थी जगदिश का निवेदन है की आज से करीब एक महा पुर्व मेरा पुत्र किशोर व मेरे काका के लडका नोरत राम बावरी s/o सोहनलाल बावरी मेरे गांव के ही श्री हडमान राम की मोटर साईकिल लेकर बलाडा के पास निर्माणधीन फेक्ट्री जा रहे थे बलाडा के पास निर्माण टुकडा जाने वाले रास्ते पर मोटर साईकिल से टकरा कर ऐकसिडेन्ट हौ गया जिनका ईलाज अजमेर अस्पताल मे करवाया आज से करिब 7/8 रोज पहले बलाडा पुलिस चोकी के आसाराम कास्टेबल ने अपने फोन से फोन कर मुझे बलाडा चोकी बुलाया जिस पर मे मेरे जानकार श्री मोहन लाल निवासी बलाडा को साथ लेकर पुलिस चौकी बलाडा गया जहा पर श्री आसाराम कास्टेबल श्री विकास खोजा कास्टेबल मिले जिनहोने मुझे कहा की आप का लडका जिस मोटर साईकिल से जा रहा था तथा ऐकसिडेन्ट हो गया था वह मोटर साईकिल चोरी की है तथा अब हम तुम्हारे लडके एव मोटर साईकल चालक के विरूद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज करना पडेगा तब मेने उनह को कहा की मोटर साईकल तो हडमान राम की है मेरा लडका तो माग कर लाया था तब आसाराम ने अपने फोन से हनुमान राम को अपने फोन से फोन कर वार्ता की तथा मुझे बताया की मोटर साईकल तो चोरी की है तथा मुझे कहा की कल 20000 रू दो तो तुम्हारे लडके के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज नही करूगा अन्यता मुकदमा दर्ज कर जेल मे डालुगा जिस पर पास ही बैठे विकसा ने भी 20000 रू देने की बात करी जिस पर मेने व मेरे साथ चल मोहन लाल ने आसाराम व विकास से रासी कम करने का निवेदन किया मगर आसाराम ने कहा की जेल नही जाना है तो 20000 रू ही लगेगा इस प्रकार श्री आसाराम कास्टेबल व श्री विकास कुमार कास्टेबल मेरे लडके किशोर वगेरहा के विरूद्ध चोरी का झुठा मुकदमा दर्ज नही करने की अवज में 20000 रू माग कर रहे है में उन्ह रिश्वत लेते हुवे को रगे हातो पकडकर कानुनी कारवाई करवाने चहाता हु कानुनी कारवही करावे मेरी श्री आसाराम व विकास से कई दुसमनी या लेन देन बकाया नही है।

भाविदय

एस.डी/– जगदीश
जगदिस पुत्र मोहन लाल जी
जाति (बावरी) निवासी लासणी
पुलिस थान जैतारण जिला पाली
9928958994
7742792643

एस.डी/– खेमराज मीणा गवाह

एस.डी/– ओमप्रकाश गवाह

एस.डी/– मोहन लाल
मोहन लाल देवासी s/oगायडराम
जी देवासी बलाडा जेतारण (पालि)
7014708220

एस.डी/–
नरपत चन्द
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 02.05.2022 को 09:23 ए.एम पर श्री मोहनलाल ने अपने मोबाइल नम्बर 70147–08220 से मन नरपत चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नम्बर 94138–81226 पर फोन कर बताया कि मेरे मित्र श्री जगदीश पुत्र श्री मोहनलाल जाति बावरी निवासी लासणी पुलिस थाना जैतारण जिला पाली के पुत्र श्री किशोर व मेरे काका का लडका नोरतराम बावरी पुत्र श्री सोहनलाल बावरी मेरे गांव के ही श्री हडमानराम की मोटर साइकिल लेकर निर्माणाधीन फेक्ट्री जा रहे थे। बलाडा के पास ग्राम टुकडा जाने वाले रास्ते पर करीब एक माह पूर्व मोटर साईकिल से टक्करा कर एक्सीडेंट हो गया जिनका इलाज अजमेर अस्पताल में करवाया। आज से करीब सात–आठ रोज पहले बलाडा पुलिस चौकी के आशाराम कानि. ने अपने फोन से फोन कर मुझे बलाडा चौकी बुलाया। जिस पर मैं मेरे जानकार श्री मोहनलाल निवासी बलाडा को साथ लेकर पुलिस चौकी बलाडा गया जहां पर श्री आशाराम कानि. व श्री विकास खोजा कानि. मिले, जिन्होने मुझे कहां कि आपका लडका जिस मोटर साईकिल से जा रहा था तथा एक्सीडेंट हो गया वह मोटर साईकिल चौकी में पडी है जो चोरी की है तथा अब हमें तुम्हारे लडके एवं मोटर साईकिल चालक के विरूद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज करना पडेगा तब मैने उनको कहां कि मोटर साईकिल हडमानराम की है, मेरा लडका तो मांग कर लाया था, तब आशाराम ने अपने फोन से हनुमानराम को अपने फोन से फोन कर वार्ता की तथा मुझे बताया कि मोटर साईकिल तो चोरी की है तथा मुझे कहां कि कल 20,000 रूपये लाकर दो तो तुम्हारे लडके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज नही करूंगा अन्यथा मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दूंगा जिस पर पास में बैठे विकसा ने भी 20,000 रूपये देने की बात कही। जिस पर मैने व मेरे साथ चले मोहनलाल ने आशाराम व विकास से राशि कम करने का निवेदन किया, मगर आशाराम ने कहा कि जेल नही जाना है तो 20,000 रूपये ही लगेगा। इस प्रकार श्री आशाराम कानि. व विकास कुमार कानि. मेरे लडके किशोर कुमार वगैराह के विरूद्ध चोरी का झुठा मुकदमा दर्ज नही करने की एवज में 20,000 रूपये मांग कर रहे है। मैं उन्हें रिश्वत नही देना चाहता, रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं, कानूनी कार्यवाही करवावें। मेरी श्री आशाराम कानि. व विकास कुमार कानि. से कोई दुश्मनी व लेन–देन बकाया नही है। साथ ही बताया कि मेरा मित्र जगदीश पढा लिखा नही है, इसलिए कानूनी कार्यवाही कराने हेतु उक्त बात मुझे बताई। जिस पर सह परिवादी श्री मोहनलाल को अपने मित्र की शिकायत व उनको साथ लेकर लेकर ब्यूरो चौकी पाली पर उपस्थित होने का कहा गया।

उसी रोज दोपहर में परिवादी श्री मोहनलाल ने अपने मोबाइल से पुनः फोन कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री जगदीश के परिवार में मृत्यु हो जाने के कारण ब्यूरो चौकी पाली पर उपस्थित होने में असमर्थ है। साथ ही बताया कि कल दिनांक 03.05.2022 को मैं व जगदीश गांव बलाडा में ही उपस्थित मिलेंगे। जिस पर सह परिवादी मोहनलाल को निर्देशित किया गया कि परिवादी की लिखित शिकायत तैयार रखे। उक्त शिकायत के तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला लोक सेवको द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर रिश्वत मांगना एवं भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाये जाने पर ब्यूरो कार्यालय के कानि. श्री हनुमानसिंह 427 को सह परिवादी श्री मोहनलाल के उपरोक्त मोबाइल नम्बरो से अवगत कराया गया एवं निर्देशित किया कि सह परिवादी श्री मोहनलाल गुर्जर निवासी बलाडा से उक्त मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर परिवादी श्री जगदीश की शिकायत के परिपेक्ष्य में मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के ग्राम बलाडा पहूंच कर परिवादी श्री जगदीश व सह परिवादी श्री मोहनलाल से संपर्क कर परिवादी के रिपोर्ट के तथ्य जरिये फोन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताने तथा परिवादी श्री जगदीश से आरोपीगण श्री आशाराम कानि. व विकास कुमार कानि. पुलिस चौकी बलाडा पुलिस थाना आनन्दपुर कालू द्वारा मांगी

जा रही रिश्वती राशि का मांग सत्यापन करवाकर समस्त हालात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करावे।

दिनांक 03.05.2022 को सह परिवादी श्री मोहनलाल ने अपने मो.न. 70147–08220 से मन नरपत चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मो. न. 94138–81226 पर फोन कर बताया कि आपके कार्यालय से आये श्री हनुमानसिंह कानि. द्वारा साथ लाये डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की संचालन विधि श्री जगदीश को बताकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उन्हें सुपूर्द किया एवं आवश्यक हिदायत के साथ श्री आशाराम कानि. एवं श्री विकास कुमार कानि. से रिश्वती राशि मांग सत्यापन के क्रम में मांग करने हेतु पुलिस चौकी बलाडा में भेजकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग सत्यापन के दौरान कुछ राशि देने की जिद्द करने पर श्री जगदीश नें उसके पास उपलब्ध 5,000 रूपये श्री आशाराम के कहने पर विकास कुमार कानि. को दिये, क्योंकि दोनो कर्मचारी बिना पैसे लिए वार्ता ही नही करते है इसलिए मजबुरन 5,000 रूपये देने पडे। शेष रिश्वती राशि 15,000 रूपये कल दिनांक 04.05.2022 को देना तय हुआ है। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं वक्त मांग सत्यापन प्राप्त किये गये 5,000 रूपये की वार्ता ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जगदीश से वार्ता की तो परिवादी जगदीश नें भी सह परिवादी श्री मोहनलाल के कथनो की ताईद की। जिस पर परिवादी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया की आरोपित श्री आशाराम व विकास कुमार को दी जाने वाली रिश्वती राशि 15,000 रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 04.05.2022 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर सह परिवादी श्री मोहनलाल के साथ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये।

तत्पश्चात श्री हनुमान सिंह कानि ने जरिये फोन मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै रिश्वती राशि मांग सत्यापन उपरान्त ब्यूरो चौकी पाली पर उपस्थित आ गया हूं तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछने पर श्री हनुमानसिंह कानि. नें परिवादी एवं सह परिवादी के बताये कथनो की तायद की। साथ ही कानि. नें बताया कि परिवादी कि लिखित रिर्पोट में साथ लेकर आया हूं तथा आरोपीगणों द्वारा शेष रिश्वती राशि 15,000 रूपये कल दिनांक 04.05.2022 को लेकर सांय 6.00 बजे परिवादी को बुलाया है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. हनुमानसिंह को आवश्यक हिदायत दी गयी कि डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व परिवादी की लिखित शिकायत अपने पास सुरक्षित रखे तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व लिखित शिकायत पेश करे।

दिनांक 04.02.2022 को श्री हनुमानसिंह कानि. ने परिवादी श्री जगदीश की लिखित शिकायत एवं स्वीच ऑफ शुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया एवं पूर्व में बताये हालात अवगत कराये। तत्पश्चात् प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली के नाम तहरीर लिखकर कार्यालय के श्री दशरथसिंह कानि. को वास्ते गवाहन तलबी हेतु रवाना किया गया। इसी दौरान पूर्व से पाबंदसुदा सह परिवादी श्री मोहनलाल व परिवादी श्री जगदीश उपस्थित आये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर अपना अपना परिचय क्रमशः श्री मोहनलाल देवासी पुत्र श्री गायडराम देवासी निवासी बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली एवं श्री जगदीश पुत्र मोहनलाल जाति बावरी निवासी लासणी पुलिस थाना जैतारण जिला पाली के रूप में दिया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस द्वारा अपना पूर्ण परिचय देकर आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी श्री जगदीश ने बताया आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वती राशि 15,000 रूपये मैं साथ लेकर आया हूं। जिस पर परिवादी श्री जगदीश से श्री हनुमानसिंह कानि. को प्रस्तुत शिकायत में अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ की गयी तो परिवादी ने अपनी शिकायत में अंकित समस्त

तथ्य सही होना बताया तथा पूछने पर सह परिवादी नें दरयाफ्त बताया की श्री आशाराम कानि. व विकास कुमार बहुत ही शातिर है तथा पैसे श्री जगदीश से ही प्राप्त करेंगे तथा राशि श्री विजय पुत्र श्री नरसिंगराम जाति चौकीदार निवासी ग्राम बलाडा तहसील जैतारण श्री आशाराम के जानकार होने के कारण उस पर विश्वास करते है तथा परिवादी श्री जगदीश के साथ रहने पर आरोपी श्री आशाराम श्री विजय के विश्वास में आकर मेरे से तय कि गयी राशि आसानी से प्राप्त कर लेंगे। परिवादी जगदीश ने बताया कि वह स्वयं अनपढ होने के कारण उक्त शिकायत अपने साथी श्री मोहनलाल से लिखवाना तथा उक्त शिकायत पर अपने व अपने साथी मोहनलाल के हस्ताक्षर होना बताया। इस पर सह परिवादी श्री मोहनलाल ने भी परिवादी श्री जगदीश के उक्त कथनों की तायद की तथा शिकायत पर अपने भी हस्ताक्षर होना बताया तथा आरोपीगणों द्वारा परिवादी श्री जगदीश से 20,000 रूपये बतौर रिश्वत के रूप में उनके सामने मांगने के तथ्य बताये। जिस पर डिजिडल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी व सह परिवादी के पूर्व के टेलिफोनिक कथनों की ताईद होकर रिश्वती राशि मांग की पुष्टि हुई।

तत्पश्चात् कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली से दो कार्मिक उपस्थित आये एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। जिस पर दोनो कार्मिको को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर उन्होने अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री ओमप्रकाश चौधरी पुत्र श्री पकाराम जी, जाति चौधरी, उम्र 40 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी गांव कानेलाव, पुलिस थाना गुडा एन्दला, तहसील व जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत डिंगाई, पंचायत समिति पाली, जिला पाली एवं श्री खेमराज मीणा पुत्र श्री जगनलाल मीणा, जाति मीणा, उम्र 30 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी गांव मान्नौज तहसील टोडाभीम, पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डेण्डा, पंचायत समिति पाली, जिला पाली होना बताया। दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाया तथा परिवादी व दोनो कार्मिको का आपस में परस्पर परिचय करवाकर परिवादी श्री जगदीश द्वारा प्रस्तुत शिकायत दोनो कार्मिको को पढाई गयी एवं रिश्वती राशि मांग की वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है के, मुख्य अंश सुनाये गये तो दोनो कार्मिको ने परिवादी श्री जगदीश पूछताछ कर संतुष्टि जाहिर की एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की एवं परिवादी की शिकायत पर अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात् परिवादी श्री जगदीश ने दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री आशाराम व विकास कुमार को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 2000 रूपये का एक नोट व 500–500 रूपये के 26 नोट कुल राशि 15,000 रूपये मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाकर श्री दशरथसिंह कानि. 428 से ब्यूरो के मालखाना में से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक पुराना अखबार बिछाकर उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि रखवायी जाकर श्री दशरथ सिंह कानि. से उक्त राशि के सभी नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्रीजगदीश की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री खेमराज मीणा, ग्राम विकास अधिकारी से लिवाई गई। परिवादी के पास कोई राशि/दस्तावेज अथवा आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल फोन उसके पास ही रहने दिया गया। उक्त फिनॉफ्थलीन पाउडरयुक्त नोटो को श्रीदशरथ सिंह कानि. से परिवादी के **पहने हुए लॉवर की दांयी जेब** में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि के रास्ते में हाथ नहीं लगावे तथा आरोपितगणो द्वारा मांगने पर ही अपनी जेब से निकालकर उन्हे देवें। उक्त राशि देने से पूर्व व पश्चात् आरोपितगणो से हाथ नहीं मिलावें। अभिवादन की आवश्यकता पड़ने पर दूर से ही दोनो हाथ जोडकर नमस्कार करें। रिश्वत में दी जाने वाली राशि आरोपितगणो को देने के पश्चात् गोपनीय रूप से अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फिराकर या मोबाईल कॉल/मिसकॉल कर गोपनीय ईशारा करें। ताकि

ट्रेप पार्टी को पता चल जाये कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि का आदान प्रदान हो चुका हैं। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपितगण रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् किस स्थान पर रखते है अथवा छुपाते है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखे। दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो को भ्झी हिदायत दी गई कि परिवादी एवं आरोपितगणो के बीच रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने एवं दोनो के मध्य वार्तालाप को सुनने का हर सम्भव प्रयास करें। तत्पश्चात् कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया तो उक्त घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन घोल में रिश्वत में दी जाने वाली राशि के नोटो पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री दशरथ सिंह कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलिया व अंगुठा डुबोकर धुलवाये गये तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। गवाहान एवं परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यगणो को फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की उपयोगिता एवं किया प्रतिकिया का दृष्टांत देकर समझाईश की गई। उक्त धोवन को फिकवाकर नष्ट करवाया गया। फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः ब्यूरो के मालखाना में रखवाकर ताला लगवाया गया। दृष्टांत हेतु उपयोग में लिया गया अखबार जिस पर रखाकर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, को श्री दशरथ कानि. से जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री दशरथ सिंह के दोनो हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गयें। दृष्टांत में प्रयुक्त गिलास व चम्मच को श्री दशरथ सिंह से ही साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेपबॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यो एवं गवाहान के हाथ तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले समस्त उपकरणो को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यो की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक राशि, वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं रहने दिये गये। तत्पश्चात् श्री दशरथ सिंह कानि. को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय पाली पर ही रहने हेतु निर्देशित किया गया।

मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें सह परिवादी श्री मोहनलाल को आवश्यक हिदायत के साथ उनकी निजी मोटर साईकिल से ग्राम बलाडा के लिए रवाना कर निर्देशित किया गया कि ग्राम बलाडा से 3–4 कि.मी. पूर्व एकांत स्थान पर श्री विजय को बुलाकर उनके साथ उपस्थित मिले। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय से कि गयी वार्ता के फलस्वरूप ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय से श्री सीताराम पुलिस निरीक्षक, श्री रामकिशोर हेड कानि. 56, श्री सोहनलाल कानि. 497 वास्ते इमदाद उपस्थित आये, जिन्हें साथ लेकर मन नरपत चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री हनुमानसिंह कानि. 427, श्री रतनसिंह कानि. 357, श्री धर्माराम कानि. 400, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. 286 मय स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश चौधरी व श्री खेमराज मीणा एवं परिवादी श्री जगदीश के जरिये सरकारी वाहन मय वाहन चालक अभयकुमार हेड कानि. ड्रा. 09 के तथा निजी वाहन से मय ट्रेपबॉक्स आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु ग्राम बलाडा पाली के लिये रवाना होकर गांव बलाडा से थोडी दूर पहले पहूंचे एवं वाहनों को साईड में खडा कर जहां पर श्री सह परिवादी श्री मोहनलाल से टेलिफोनिक सम्पर्क कर अपने पास बुलाने पर श्री मोहनलाल हमराह विजय चौकीदार मय अपनी अपनी मोटर साईकिल के उपस्थित आये।

मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जगदीश व श्री हनुमानसिंह कानि. को ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर आवश्यक हिदायत के साथ जरिये मोटर साईकिल पुलिस चौकी बलाडा के लिये रवाना किया। साथ ही दूसरी मोटर साईकिल पर सह परिवादी श्री मोहनलाल व विजय चौकीदार को भी पुलिस चौकी बलाडा के लिए रवाना किया तथा उनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनो स्वतंत्र गवाहन, ब्यूरो जाप्ता श्री सीताराम निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर हेड कानि., श्री हनुमानसिंह कानि. मय निजी वाहन के रवाना होकर पुलिस चौकी बलाडा के नजदीक बस स्टेंड बलाडा पहूंचे। जहां पर पूर्व

हिदायत अनुसार कानि. हनुमानसिंह ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री जगदीश को सुपूर्द कर परिवादी श्री जगदीश, सह परिवादी मोहनलाल एवं श्री विजय को आवश्यक हिदायत देकर पुलिस चौकी बलाडा के लिए रवाना किया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समस्त हमरायान के पुलिस चौकी बलाडा के सामने स्थित बस स्टेंड पर अपनी–अपनी पॉजिशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के ईन्तजार में व्यस्त हुए।

वक्त करीब 07.40 पी.एम. पर परिवादी श्री जगदीश ने चौकी परिसर के मुख्य दरवाजे पर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सर पर आगे से पीछे की तरफ दो तीन बार हाथ फेरकर करने पर चौकी के सामने ही स्थित भीडभाड में अपनी पोजिशन लिए श्री सीताराम निरीक्षक पुलिस, हनुमानसिंह कानि. जो पुलिस चौकी के काफी नजदीक थे तथा हीदायता अनुसार परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वती राशि लेन देन को देख रहे थे वह दोनो तेजी से चौकी की तरफ आगे बढे तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत चन्द हमराह उपरोक्त मौतबिरान व अन्य ब्यूरो जाप्ता के पुलिस चौकी के मुख्य दरवाजे पर खडे परिवादी व उसके पास खडे अन्य व्यक्ति की तरफ बढे। इसी दरम्यान परिवादी के पास खडा व्यक्ति सुनियोजित ढंग से श्री सीताराम निरीक्षक पुलिस को जोर से धक्का देकर चौकी के सामने खडी स्टार्ट प्राइवेट गाडी में बैठा, जिस पर पूर्व से ही चालक सीट पर बैठा व्यक्ति गाडी को तेजी से बस स्टेंड की तरफ घुमायी एवं बाजार की तरफ भगायी तथा चालक सीट के पास वाली सीट पर बैठा व्यक्ति जोर जोर से ऐलानिया चिल्लाते हुए कह रहा था कि गाडी को इन लोगो के उपर चढा दे और इनका काम तमाम कर दे। इन्ही शब्दों को जोर जोर से चिल्लाते हुए गाडी चालक ने गाडी बस स्टेंड की तरफ मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ब्यूरो जाप्ता पर गाडी चढाने की कोशिश की, मगर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराह ब्यूरो जाप्ता बडी मुश्किल से ईधर उधर भागकर अपनी जान बचाई तथा उक्त वाहन चालक हमराह पुलिस चौकी से निकला व्यक्ति को साथ लेकर आम नागरिक की जान को खतरे में डालते हुए राबडीयावास की तरफ गाडी को भगाई। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनो गवाहान, जाप्ता व परिवादी के सरकारी वाहन में बैठकर गाडी का पीछा किया मगर गाडी चालक बहुत लापरवाही पूर्वक एवं तेज भगाकर भागने में कामयाब हो गया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समस्त हमरायान के पुनः पुलिस चौकी बलाडा पहुंचा एवं रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री जगदीश से सम्पूर्ण वर्तान्त बताने हेतु कहा गया।

जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं पुलिस चौकी बलाडा के मुख्य द्वार पहुंचा तो पता चला की चौकी पर कोई नही है। इसी दरिम्यान एक प्राईवेट वाहन चौकी के सामने आकर रूका जिसमें से श्री आशाराम कानि. गाडी से उतरकर मेरे पास आया तथा मुझे चौकी के अन्दर ले जाकर मुझे कहा कि कितने लाया, तब मैंने उनको कहा की आप द्वारा तय किये गये 20,000 में से आप कल 5,000 रूपये ले चुके हो तथा शेष राशि 15,000 रूपये लेकर आया हूं। जिस पर श्री आशाराम मुझे साथ लेकर पुलिस चौकी के सामने स्टार्ट पोजिशन में खडी गाडी की तरफ लेकर रवाना हुआ तथा पुलिस चौकी के मुख्य दरवाजे के पास चंद सैंकड रूककर मेरे से 15,000 रूपये रिश्वत के मांगने पर मैंने अपनी लॉवर की दाहिंनी जेब में रखी रिश्वती राशि के नोटो का बण्डल निकालकर श्री आशाराम को दिया। उक्त राशि प्राप्त करते ही श्री आशाराम गाडी की तरफ तेजी से भागा। इसी दरिम्यान मैंने आपको पूर्व निर्धारित ईशारा किया मगर श्री आशाराम मेरे से प्राप्त की गयी रिश्वती राशि लेकर ब्यूरो जाप्ता को धक्का देकर पूर्व से स्टार्ट कर रखी गाडी में बैठ गया तथा चालक सीट पर श्री बंटी कलाल पुत्र श्री सत्यनारायण टांक निवासी पुलिस चौकी बलाडा के पीछे वाली गली गांव बलाडा पुलिस थाना आनन्दपुर कालू जिला पाली गाडी को तेज गति एवं लापरवाही से भगाकर भाग गया जो मेरे से प्राप्त की गयी रिश्वती राशि साथ लेकर भागा है। जिस पर परिवादी के साथ गये श्री सह परिवादी श्री मोहनलाल व विजय से पूछने पर भी उन्होंने परिवादी के कथनो कि तायद की। साथ ही बताया कि श्री आशाराम ने श्री जगदीश से 15,000 रूपये मांगकर हमारे सामने प्राप्त किये थे, मगर श्री आशाराम को भनक लगते ही भागकर गाडी में बैठकर भाग

गया। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त हालात उच्च अफसरान को निवेदन कर संबंधित एस.एच.ओ. एवं वृताधिकारी को मौके पर पुलिस चौकी बलाडा पहूंचने हेतु निर्देशित किया गया एवं सह आरोपी श्री विकास कानि. की लोकेशन पता की गई तो गणेश नगर पाली होना ज्ञात हुआ। जिस पर ब्यूरो चौकी पाली प्रथम एवं द्वितीय के शेष जाप्ते को निर्देशित किया गया कि सह आरोपी श्री विकास कुमार कानि. कि पतारसी कर दस्तायबी के प्रयास करें। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक पाली को हालात निवेदन कर आरोपीगण श्री आशाराम कानि. व विकास कुमार कानि. की दस्तायबी हेतु समस्त थाना जिला पाली हल्का में नाकाबंदी करवाने हेतु अनुरोध किया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी अपने स्तर पर मुल्जिमानो की दस्तायबी एवं रिश्वती राशि बरामदगी के प्रयास में व्यस्त हुआ।

कुछ समय पश्चात थानाधिकारी श्रीमती शारदा पुलिस थाना आनन्दपुर कालू उपस्थित आयी, जिन्हें आरोपीगणों के उपरोक्त कृत्य से अवगत कराकर परिवादी श्री जगदीश के पुत्र किशोर की एक्सीडेंटल मोटर साईकिल एवं उक्त दुर्घटना के संबंध में दर्ज प्रकरण आदि के संबंध में पूछताछ की गयी तो श्रीमती शारदा उ.नि.पु. ने बताया कि पुलिस चौकी बलाडा अस्थायी तौर पर संचालित हो रही है तथा श्री किशनसिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस, चौकी प्रभारी के रूप में सर्व श्री आशाराम कानि. 1586 व श्री विकास कुमार कानि. 190 को कानून व्यवस्था के लिए अस्थायी लगा रखा है। उक्त तीनों का ही पदस्थापन पुलिस थाना आनन्दपुर कालू में है, पुलिस चौकी प्रभारी श्री किशन सिंह ज्यादातर थाने पर ही उपस्थित रहते है, साथ ही बताया कि उक्त एक्सीडेंट के बारे में किसी कार्मिक द्वारा मुझे या थाना के अन्य कर्मचारी को कोई इतला नहीं की गई है तथा न ही प्रकरण व रोजनामचा रपट दर्ज है। जिस पर परिवादी श्री जगदीश द्वारा चौकी में पडी उक्त एक्सीडेंटल बिना नम्बरी मोटर साईकिल नम्बर हिरो स्पलेंडर प्लस का उप निरीक्षक पुलिस को साथ लेकर निरीक्षण किया गया तो उक्त मोटर साईकिल एक्सीडेंटल होकर क्षतिग्रस्त हो रखी है तथा परिवादी ने बताया कि यही मोटर साईकिल है, जिससे मेरे पुत्र किशोर एक्सीडेंट का हुआ था तथा श्री आशाराम व विकास कुमार ने उक्त मोटर साईकिल को चोरी की होना बताकर मेरे पुत्र के विरूद्ध मोटर साईकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कर जेल में डालने की धमकी देकर 20,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की व प्राप्त की। जिस पर उप निरीक्षक पुलिस को अपने अधीनस्थ जाप्ते द्वारा आवश्यक कागजों में एक्सीडेंट की सूचना दर्ज नही करने व सुपरवाईजरी अधिकारी होने के नाते कोई विभागीय कार्यवाही आदि कि उच्च अफसरान को अनुशंषा की गई है तथा रपट इत्यादि के बारे में पूछने पर उक्त मोटर साईकिल के बारे में थाने पर कोई इत्तला नही होने के कारण उपरोक्त कार्यवाही नही की गयी। मुझे आज चौकी पर देखने पर पता चला कि उक्त मोटर साईकिल का इन्द्राज कही कागजों में नहीं है। जिस पर परिवादी के पुत्र के एक्सीडेंट में चौकी पर रखी दूसरी मोटर साईकिल के बारे में पूछने पर बताया कि कल श्री आशाराम का फोन आया तथा मुझे बताया कि मैडम आपके निर्देशानुसार एक मोटर साईकिल को चेक किया गया तो मोटर साईकिल चालक के पास कोई दस्तावेज नही पाये गये। जिस पर मैने कहां कि मोटर साईकिल चालक दस्तावेज उपलब्ध कराता है तो मोटर साईकिल जाने देना अन्यथा थाने लेकर आ जाना, जो दस्तावेज प्राप्त होने पर बाद चालान अदायगी के सुपूर्द की जायेगी। उक्त दोनो एक्सीडेंटल मोटर साईकिलों के बारे मे मुझे नही बताया गया था। आरोपीगणों द्वारा रिश्वती राशि को खुर्द–बुर्द कर भागने में कामयाब रहे है, जिनकी दस्तायबी व रिश्वती राशि बरामदगी के प्रयास जारी है। उपरोक्त हालात फर्द में अंकित कर फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 04.05.2022 व वक्त 09.35 पी.एम. पर मुर्तिब की जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द शामिल रनिंग नोट की गयी।

तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी श्री जगदीश के घटना स्थल पर पहूंच कर परिवादी श्री जगदीश के निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नजरी नक्शा मुर्तिब किया जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया।

ताबाद दोनो स्वतंत्र गवाहन एवं श्रीमती शारदा थानाधिकारी पुलिस थाना आनन्दपुर कालू की उपस्थिति में पुलिस चौकी बलाडा के भवन की कक्षवार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पुलिस चौकी बलाडा पुलिस थाना आनन्दपुर कालू जिला पाली मुर्तिब की गई एवं फर्द पर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करावाये जाकर फर्द शामिल रनिंग नोट की गई।

तत्पश्चात् दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी श्री जगदीश व आरोपी श्री आशाराम कानि. व विकास कुमार कानि. के मध्य दिनांक 03.05.2022 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को सुन–सुनकर एवं समझ–समझकर शब्द–ब–शब्द कम्प्युटर के माध्यम से फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की गई। उक्त वार्ता की कम्प्युटर के माध्यम से तीन सीडीयां तैयार की गई। एक सी.डी. को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दो सी.डी. को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। रिकार्डशुदा उक्त वार्ता में आरोपी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जगदीश ने की। इसी प्रकार दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी श्री जगदीश व आरोपी श्री आशाराम कानि. के मध्य दिनांक 04.05.2022 को वक्त रिश्वत राशि लेन–देन रूबरू हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को सुन–सुनकर एवं समझ–समझकर शब्द–ब–शब्द कम्प्युटर के माध्यम से फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि लेन–देन तैयार की गई। उक्त वार्ता की कम्प्युटर के माध्यम से तीन सीडीयां तैयार की गई। एक सी. डी. को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दो सी.डी. को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। रिकार्डशुदा उक्त वार्ता में आरोपी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जगदीश ने की। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगा मेमोरी कार्ड जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकार्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शिल्डमोहर कर फर्द मूर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थैली पर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पचात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के आरोपी श्री आशाराम कानि. जो परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर फरार है तथा विकास कुमार कानि. भी आशाराम के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की भनक लग जाने से अपनी सकुनत से रूहपोस है जिनकी पतारसी हेतु प्रयास किये जायेंगे। साथ ही उक्त दोनो आरोपी पतारसी हेतु वृताधिकारी वृत जैतारण को भी पृथक से निर्देशित किया गया। मौके की कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के कारण परिवादी जगदीश व उनके सहयोगीगणों को रूख्सत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायन एवं फर्दात अनुसार मालखाना आईटम व ट्रेप सामग्री साथ लेकर पुलिस चौकी बलाडा से रवाना होकर ब्यूरो चौकी पाली पहुंचे तथा मालखाना आईटम वक्त मांग सत्यापन की एक शिल्डशुदा मूल सी.डी. मय दो डब सी.डी. एवं वक्त रिश्वत राशि लेन–देन की एक शिल्डशुदा मूल सी.डी. मय दो डब सी.डी. व शिल्डशुदा मेमोरी कार्ड का पैकेट मालखाना प्रभारी को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

इस प्रकार संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी सर्व श्री आशाराम कानि. 1586 व श्री विकास कुमार कानि. 190 पुलिस चौकी बलाडा पुलिस थाना आनन्दपुर कालू जिला पाली द्वारा अपने–अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री जगदीश से उसके पुत्र किशोर वगैराह के विरूद्ध मोटर साईकिल चोरी का मुकदमा दर्ज नही करने की एवज में 20,000 रूपये रिश्वती राशि मांग करने एवं वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन बतौर रिश्वती राशि 5,000 रूपये प्राप्त करना तथा शेष राशि 15,000 रूपये दिनांक 04.05.2022 का वक्त रिश्वती राशि लेन देन परिवादी से प्राप्त कर सह आरोपी श्री बन्टी कलाल पुत्र श्री सत्यनारायण कलाल जाति कलाल

निवासी गांव बलाडा के साथ षडयंत्रपूर्वक प्राप्त की गयी रिश्वती राशि को खुर्द–बुर्द करने के आशय से सह आरोपी श्री बन्टी कलाल की किआ गाडी में फरार होना जिस पर सह आरोपी बन्टी कलाल बदियान्ती पूर्वक आरोपी आशाराम कानिस्टेबल को रिश्वत की राशि सहित भगा ले जाना आदि आरोपीगणों का कृत्य अपराध अंर्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संसोधित) 2018 व 120 बी, 201 भा.द.स. का अपराध प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया है।

अतः आरोपीगण 1. श्री आशाराम कानि. 1586 पुलिस चौकी बलाडा पुलिस थाना आनन्दपुर कालू जिला पाली 2. श्री विकास कुमार कानि. 190 पुलिस चौकी बलाडा पुलिस थाना आनन्दपुर कालू जिला पाली व सह आरोपी 3. श्री बन्टी कलाल पुत्र श्री सत्यनारायण कलाल (प्राइवेट व्यक्ति) निवासी ग्राम बलाडा के विरूद्ध जुर्म उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

(नरपत चंद)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी, 201 भादंसं में अभियुक्त 1. श्री आशाराम, कानि. 1586, 2. श्री विकास कुमार, कानि. 190, पुलिस चौकी बलाडा, पुलिस थाना आनन्दपुर कालू, जिला पाली एवं 3. श्री बन्टी उर्फ सूर्यप्रकाश पुत्र श्री सत्यनारायण टांक, निवासी गांव बलाडा, पुलिस थाना आनन्दपुर कालू, जिला पाली (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 165/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6/5/2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 1442-46 दिनांक 6.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला पाली।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर